

न्यायालय नायब तहसीलदार भियाड़, जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण मामला संख्या 160/2024 अर्थात् धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956

सायल
राजस्थान राज्य
जरिये पटवारी भियाड़

बनाम
रुमाराम पुत्र दुर्गायाम
जाति जाट निवासी माताजी की माखरी।

गैर सायल

"निर्णय"

दिनांक- 25.10.2024

पत्रावली आज बमुकाम भियाड़ में पेश हुई और गैर सायल उपरिष्ठ पत्रायली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भियाड़ ने धारा आर.एल.आर. एक्ट 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैरा ने गौजा भियाड़ के खसरा नं 1418/1408 रकबा 44.2888 हैक्टेयर में से 0.3237 हैक्टेयर किरम गै.मु.मगरा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण / कब्जा / काश्त किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस से सुनवाई हेतु तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ/और गैर सायल उपरिष्ठ रहा।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं। साथ ही वार्षिक लगान रुपये 0.12 पैसा का गुणा 50 जुर्माना राशि रुपये 12/- पूर्णांक में अक्षरे बारह रुपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

निरीक्षक भू.अ. वृत्त एवं हल्का पटवारी -को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर अतिक्रमण हटाकर अतिक्रमी से जुर्माना वास्ते अनुमोदनार्थ एवं स्वीकृति हेतु 15 योम में पेश करें।

पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भौतिक रूप से बेदखल कर फसल नीलामी की कार्यवाही करते हुए भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करे।

टी.आर.ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सूचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावें।

निर्णय दिनांक 25.10.2024 को सरेआम सुनाया गया।

नायब तहसीलदार भियाड़

